बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं० सं०–2/एल–226/2026– / स्वा०, पटना, दिनांक / / 2026

डा० प्रीति कुमारी , चिकित्सा पदाधिकारी ,एस०एन०सी०यू०, सदर अस्पताल, आरा, भोजपुर के द्वारा दिनांक–01.11.2026 से 30.04.2027 तक (कुल 181 दिन) उपभोग की जाने वाली अवकाश अवधि को वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक–2573(25) दिनांक–09.12.2025 द्वारा प्राप्त अवकाश आदेयता एवं वित्त विभागीय पत्रांक–9889, दिनांक–01.12.2015 के आलोक में शिशु देखभाल अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है। उपभोगित अवकाश को घटाने के पश्चात डा० प्रीति कुमारी को 549 दिन शिशु देखभाल अवकाश आदेय रह जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–
(विनोद कुमार पाठक)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–2/एल–226/2026– 2595 (2) पटना, दिनांक 29/10/ 2026

प्रतिलिपिः महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, आरा, भोजपुर/ अधीक्षक, सदर अस्पताल, आरा/कोषागार पदाधिकारी, भोजपुर/डा० प्रीति कुमारी, चिकित्सा पदाधिकारी ,एस०एन०सी०यू०, सदर अस्पताल, आरा, भोजपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

29/10/26
सरकार के उप सचिव